संख्या-16/2016/429/सैंतीस-2-2016-1(41)/05

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
मथुरा।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-06 मार्च, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पशुचिकित्सालय सदर, मथुरा की चहारदीवारी के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-774/सा0-1/एक्स-120(188)जि.यो./2015-16, दिनांक-15.02.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुचिकित्सालय सदर, मथुरा के लिए आवंटित भूमि पर कंटीले तार की चहारदीवारी के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन रू0-2.77 लाख पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित रू0-1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय उपलब्ध परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा:-

1. प्रश्नगत कार्य हेतु 'उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल)' को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
2. आगणन में प्रस्तावित मात्राओं एवं प्राविधानों के अनुसार कार्य कराने के साथ ही साथ कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, यह सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
3. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की व्दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में कराया जाना प्रस्तावित है।
4. बाट आउट एवं प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
5. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा तथा मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जाय।
6. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये।
7. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. अनुमोदित कार्य की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर शासन का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-03-पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**चन्द्र कान्त पाण्डेय**)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-16/2016/429(1)/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0/उप निदेशक, सम्बन्धित मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि वे निर्माण कार्य का व्यक्तिगत रूप से प्रतिमाह अनुश्रवण करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित समयावधि में सम्पन्न हो तथा वे निर्माण कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की अद्यतन स्थिति से समय-समय पर शासन को अवगत करायेंगे।
4. संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3
7. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in